हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

30/7/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...17/9/25... को पेश हो।

17/9/25 पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 24/09/25 को पेश हो।

24/9/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक.......8/10/2025.......... को पत्रावली पेश हो।

8/10/25 पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की बहादुर सिंह जी की भूमि का वर्णन प्रकरण की चरण संख्या-2 मे अंकित है व सजरा में अंकित किया गया है। अप्रार्थी हेमकंवर ने अपने इलाज के बहाने लगाकर भूमि बख्शीसनामे से भवंरसिंह से अपने नाम करवा ली है। विवादित भूमि भवंरसिंह की स्व-अर्जित नही होकर पैतृक भूमि है। अतः जो बख्शीशनामा पैतृक भूमियों का निष्पादित किया है, जो हमारे खिलाफ शून्य प्रभावी है। हमने बख्शीसनामे को सिविल न्यायालय में चुनौती दी हुई है। प्रा०पत्र स्वीकार कर स्थगन आदेश जारी किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खण्डन मे वकील अप्रार्थी ने कथन किया की प्रार्थी नारायण सिंह व मांगू सिंह को स्व. भवँरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ने अपने जीवन काल में ही भूमिया देकर पृथक

ने अपने जीवन काल में ही भूमिया देकर पृथक-पृथक संभला दी थी। भंवर सिंह जी ने अप्रार्थी की सेवा सुश्रुषा से खुश होकर अपना स्वयं का हिस्सा ही हेमकवंर को बक्षीसनामे में दिया है। भंवरसिंह जी अपने जीवन काल में ही भूमियों का बंटवारा कर पृथक-पृथक कर दिये जाने से अब इनका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की IIIrd सूची मे अंकितानुसार सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप होगा। मामला "Sub Judice" है, अन्य में विचाराधीन है। प्रा०पत्र स्थगन बाबत खारीज किया जावें।

पुन: खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की हम विरासत के आधार पर प्राप्त पैतृक भूमियों के आधार पर आये है। ~~[illegible]~~ साक्ष्य के दौरान हमारे अधिकारों का निर्धारण होना है, दौराने वाद ही इन्होंने भूमियों का हस्तान्तकरण कर दिया तो वाद पेश करने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। वाद विचारण तक T. I. जारी की जावें। समर्थन में विनिर्णय → 2023(i) DNJ(REV.) Page No → 312. 2014(4) DNJ (RaJ.) Page No → 1634 एवं 2014 ① RRT 1 (S.C.) व 2008 ② RJT P. No → 1206 S.C. पेश किये है।

बाद मनन बहस वकील पक्षकारान हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी 2075-2078 ग्राम जुहारिया प.म. मेण्डी के खाता स. 98 में अप्रार्थी स. 1 हेमकवंर का 7/36 हिस्सा दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
है।	
प्रकरण के निर्णय हेतु निर्धारित तीनो बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष इस प्रकार है:-	
1. प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि खाता संख्या 98 ग्राम लुहारिया में स्थित भूमि में निहित अप्रार्थी संख्या -1 हेमकंवर के 7/36 हिस्से पर प्रार्थीगण द्वारा स्थगन चाहा गया है। उक्त भूमि अप्रार्थी स.1 को जरिये रजिस्टर्ड बख्शिशनामा दिनांक - 19/02/2016 से भंवरसिंह द्वारा बख्शिश की गई। प्रार्थीगण भूमियों के खातेदार काश्तकार नहीं होने व रजिस्टर्ड बख्शिशनामे को निरस्त करवाये बिना इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।	
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि बाबत मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है।	
3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होने व अप्रार्थी स.1 के जवाब अनुसार वह शांतिपूर्वक विवादित भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने से प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं बन रही है।	
वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय वाद निर्णय बाबत है, जिस बाबत वाद में साक्ष्योपरान्त निर्धारण किया जावेगा। विनिर्णय प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।	
अतः उपरोक्त तीनो बिन्दुओं पर विवेचन अनुसार मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में नहीं	

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम

तारीख हुक्म _	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

होने व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभा
नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत स्थ
जारी करने खारीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे
इजलास सुनाया गया!

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली